\

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 851/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(18)-2017

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे माल की पूर्ति को विनिर्दिष्ट करते है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्षक, शीर्षक या अध्याय के अधीन आती है, और जिसकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है तथा जिसके सम्बन्ध में राज्य कर का संदाय स्तंभ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल की अंत:राज्यीय पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा और उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता के लिए प्रयोज्य होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	काजू, जिनका छिलका नहीं निकाला गया है या जिन्हें छिला नहीं गया है	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
2.	1404 90 10	बीड़ी लपेटने वाले पत्ते (तेन्दू)	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
3.	2401	तंबाकू के पत्ते	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
4.	5004 से 5006	रेशम सूत	कोई व्यक्ति, जो रेशम सूत	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

			की पूर्ति के लिए कच्चे रेशम या रेशम कीट कोया से रेशम सूत का विनिर्माण करता है	
5.	-	लाटरी की पूर्ति	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या कोई स्थानीय प्राधिकारी	लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता । स्पष्टीकरण,–इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता का वही अर्थ है, जो उनका लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1998) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन बनाए गए लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में समनुदेशित हैं ।

स्पष्टीकरण –

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्षक, शीर्षक और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची के भाग और अध्याय गत टिपण्णी तथा सामान्य स्पष्टीकरण सम्बन्धी टिपण्णी भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए प्रयोज्य होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।